FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कनिष्क यादव बनाम सरकार

मु. नं..........07..................सन्..2022.

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	08.03.2022	
	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्ध किस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 29. 03.2022 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **खींवसर**	
	29.3.22 पत्रावली पेश। प्रार्थी ने आवेदन मय अपने विद्वान अधिवक्ता का सहमति पत्र पेश करने पर प्रार्थी को सुना गया, पत्रावली में तह. की ओर से रिपोर्ट पूर्व में पेश हो चुकी है। प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ, अपनी खातेदारी भूमि में से कोई निर्माण भूमि का नक्शा पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्योंकि प्रतिबंधित आराजी यानि की खेत खसरा नबंर 291 में से 0.1379 हैक्टेयर भूमि गै.मु. गौचर में से रास्ता दिये जाने पर रास्ते के रूप में प्रभावित होने वाली भूमि के बदले र्थी ने अपने खेत खसरा नबंर में से खेत खसरा नबंर 569/298 में से रकबा 0.1380 क्टेयर रास्ते के बदले समर्पण आदेश कंमाक/भू.अ./समर्पण/2022/4405 दिनांक 28.03.022 के द्वारा समर्पण करवा दिया है, इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट को स्वीकार करते हुए तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :-

आदेश

अतः प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 569/298 रकबा 1.0360 हैक्टेयर में आवागमन हेतू रास्ता की आवश्यकता व जरूरत को देखते हुए खसरा नबंर 291 रकबा 8.1856 हैक्टेयर गैर मुमकिन गौचर में से डामर सड़क एन.एच. 62 तक 30 फुट चौड़ा रास्ता तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट में सलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार घोषित कर उक्त रास्ते को राजहक में घोषित किया जाता है । तथा उक्त प्रश्नगत रास्ते में प्रभावित होने वाले रकबे की डीएलसी दर से दो गुना राशि राजकोश में जमा जमा करवाई जाकर उक्त आदेश की पालना की जावे।

उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के उपयोग उपभोग में काम आयेगा तथा उक्त तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट में नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

जीतू कुलहरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 29.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जीतू कुलहरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)